


हरियाणा सरकार
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला
अधिसूचना

दिनांक 07.02.2014

क्रमांक ह0र0कृ0वि0म0/एम0ई0-1ए-3-2014/ 13480 -पंजाब कृषि उपज मण्डी
(सामान्य) नियम, 1962 के नियम 29 (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त
उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य कृषि
विपणन मण्डल द्वारा हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की अनुसूची में सभी
फल व सब्जियों के कृषि उपज पर एक प्रतिशत से घटा कर शून्य प्रतिशत मूल्यानुसार
मार्केट फीस तुरन्त प्रभाव से निर्धारित की जाती है ।



आनन्द मोहन शरण,
मुख्य प्रशासक,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल,
पंचकूला ।